

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)/अलेसे-III/2118

दिनांक :- 09.11.2021

कार्यालय आदेश

यह देखने में आया है कि निदेशालय से पत्र-व्यवहार करते समय अधिकांश कनिष्ठ लेखाकार अपने मेरिट नम्बर/ बैच एवं लिंक नम्बर का उल्लेख नहीं करते हैं। जिसके कारण एक ही नाम के एक से अधिक कार्मिकों में से संबंधित कार्मिक की पत्रावली का सुनिश्चयन करने में गलती की संभावना रहती है। अतः समस्त कनिष्ठ लेखाकारों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जब भी निदेशालय के साथ पत्र-व्यवहार करें तो अपने मेरिट नम्बर/ बैच एवं लिंक नम्बर का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा आपके द्वारा प्रेषित पत्र को कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जावेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक : एफ.4(ई)/अलेसे-III/2118

दिनांक :- 09.11.2021

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष ।
2. श्री/श्रीमती/सुश्री, क0 लेखाकार कार्यालय ।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय कार्यालय हाजा/उप निदेशक (NCP) को कि नगरीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. गार्ड फाइल ।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)